भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 572

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

बीजक प्रबंधन प्रणाली

572. **श्री के. सी. वेणुगोपालः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बीजक प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के खुदरा व्यापारियों को पेश आ रही प्रौद्योगिकीय और प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ किस प्रकार सहयोग कर रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों के लिए पर्याप्त संक्रमण समय सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय को आईएमएस का विस्तार या चरणबद्ध रोलआउट करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) वित्त मंत्रालय के समन्वय से एपीआई को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने और एमएसएमई को अधिक लेन-देन वाले एमएसएमई की सहायता करने के लिए बल्क-अपलोड सुविधाओं जैसे प्रयोक्ता-हितैषी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) छोटे व्यवासायों के लिए नकदी प्रवाह में व्यवधान को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष इन चिंताओं को उठाने सहित मंत्रालय द्वारा बीजकों की विसंगतियों को दूर करने के लिए कठोर समय-सीमा का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) मत्रालय द्वारा आईएमएस का अनुपालन करने के लिए प्रणालियों का उन्नयन करने हेतु छोटे व्यवसायों पर प्रारंभिक निवेश के बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार किया जा रहा है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का बीजक प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) कार्यान्वयन पर वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ कोई सक्रिय सहयोग नहीं है। तथापि, हम उद्यम पंजीकरण और व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली (ट्रेड्स) मंच पर वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

एमएसएमई अपना पैन भरकर उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस पैन के सापेक्ष निवेश और कारोबार के डेटा या तो आयकर विभाग से स्वतः भर जाता है/प्राप्त हो जाता है (उन उद्यमों के मामले में जिन्होंने आईटी रिटर्न दाखिल की है) या स्व-घोषणा के आधार पर दाखिल किया जाता है (उन उद्यमों द्वारा जिन्होंने अभी तक आईटी रिटर्न दाखिल नहीं की है)। कारोबार डेटा से, उस पैन के सापेक्ष जीएसटीएन डेटा से सर्च किए गए और पाए गए निर्यात डेटा को घटा दिया जाता है। जबकि आयकर विभाग से वास्तविक समय के आधार पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक एपीआई है, जीएसटीएन डेटा जीएसटीएन द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक डंप से प्राप्त किया जाता है।

ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों को भुनाने की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में, संघों सहित हितधारकों के सुझावों के आधार पर, उनकी व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तन कर उनकी कार्यशील पूंजी को अनलॉक करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना द्वारा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

एमएसएमई मंत्रालय चालान (इनवायस) विसंगतियों का समाधान करने की सख्त समयसीमा को दूर करने के लिए पूर्वोपाय कदम उठा रहा है। मंत्रालय भुगतान संबंधी विवादों का समय पर समाधान की सुविधा के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

****